



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367]
No. 367]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2005/चैत्र 18, 1927
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2005/CHAITRA 18, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2005

का.आ. 531(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

| 1 | 2 | 3 |
|----|---|----------------------------|
| "7 | राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 [60.000 कि.मी. से 103.000 कि.मी. (राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा से ग्वालियर) और 319.700 कि.मी. से 332.100 कि.मी. को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 [400.544 कि.मी. से 651.500 कि.मी. (लखनाडोन से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा को छोड़कर)], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12, 12ए, 27, 59, 69 और सं. 75 [0.000 कि.मी. से 90.000 कि.मी. (ग्वालियर से मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा) को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 75 और सं. 76 का विस्तार [0.000 कि.मी. से 30.000 कि.मी. (मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा से शिवपुरी को छोड़कर)], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 78, 79, 86 और सं. 92 के उतने भाग जो मध्य प्रदेश राज्य के भीतर स्थित हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 59ए | मध्य प्रदेश राज्य सरकार।"; |

[फा. सं. एन एच-14012/35/2004-पी एंड एम]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.नि.आ. 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन का.आ. 464(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2005

S.O. 531 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Transport, number S.R.O. 1181, dated the 4th April, 1957, namely :—

In the Schedule to said notification, for serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|---------------------------------|
| "7 | So much of National Highways No. 3 [excluding from Km. 60.000 to Km. 103.000 (Rajasthan/Madhya Pradesh Border to Gwalior) and from Km. 319.700 to Km. 332.100], National Highways No. 7 [excluding from Km. 400.544 to Km. 651.500 (Lakhnadon to Madhya Pradesh/Maharashtra Border)], National Highways Nos. 12, 12A, 27, 59, 69 and No. 75 [excluding from Km. 0.000 to Km. 90.000 (from Gwalior to Madhya Pradesh/Uttar Pradesh Border)], Extension of National Highways No. 75 and No. 76 [excluding from Km. 0.000 to Km. 30.000 (Madhya Pradesh to Rajasthan Border to Shivpuri)], National Highway Nos. 78, 79, 86 and No. 92 as are situated within the State of Madhya Pradesh and National Highway No. 59A. | State Govt. of Madhya Pradesh"; |

[F. No. NH-14012/35/2004-P & M]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.

Foot Note : The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.R.O. 1181, dated the 4th April, 1957 and last amended *vide* number S.O. 464(E), dated the 26th April, 2002.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2005

का. आ. 532(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) के स्तंभ (1) में यथाउल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने यथाउल्लिखित तत्स्थानी खंड के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

सारणी

| राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या | खंड | भाग कि.मी. में |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 3 | गुना बाईपास | 319.700 कि.मी. से 332.100 कि.मी. तक |

[फा. सं. एन एच-14012/35/2004-पी एंड एम]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2005

S.O. 532(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretches as specified in column (3) of the Table given below (hereinafter referred to as the said Table), of the corresponding Section as mentioned against it in column (2) of the said Table, of the National Highway as described in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India.

TABLE

| National Highway Number | Section | Stretches in Kilometer |
|-------------------------|-------------|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 3 | Guna bypass | From Km. 319.700 to Km. 332.100 |

[F. No. NH-14012/35/2004-P & M]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.